

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 119/2021

वादीगण-

1. रामअवतार पुत्र उदाराम, जाति-गुर्जर, निवासी गोतरड़ी, तहसील-जायल, जिला-नागौर।
बनाम

प्रतिवादीगण -

1. कालूराम पुत्र उदाराम
2. उदाराम पुत्र श्रीराम, जाति-गुर्जर, निवासी गोतरड़ी, तहसील-जायल, जिला-नागौर।
3. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :-

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी वादीगण की ओर से
2. श्री शिवकुमार पारासर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित



दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- : : डिक्री आदेश : : -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी
प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि
यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा गोतरड़ी के खेत खसरा नंबर 12, 160,
में वादी रामअवतार एवं प्रतिवादी संख्या 1 कालूराम को प्रतिवादी संख्या 2 उदाराम के
सहखातेदार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी रामअवतार के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गोतरड़ी का खेत खसरा नंबर 66
रकबा 1.3678 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 कालूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गोतरड़ी का खेत खसरा
नंबर 12 रकबा 1.5378 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 उदाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गोतरड़ी का खेत खसरा
नंबर 160 रकबा 0.7689 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

28/9/2021
(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)